"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012— अग्रहायण 16, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फैसल कुरैशी आत्मज श्री इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी, निवासी- 39, शिवनाथ कालोनी, रायपुर नाका के पास, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे अंक सूचियों तथा विभिन्न अभिलेखों में मेरा नाम फैसल बिन इफ्तेखार, फैसल बिन इफ्तेखार कुरैशी व फैसल कुरैशी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम फैसल कुरैशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे फैसल कुरैशी आत्मज आई. एम. कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
फैसल बिन इफ्तेखार, फैसल बिन इफ्तेखार कुरैशी आत्मज - श्री इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी निवासी-39, शिवनाथ कालोनी रायपुर नाका के पास राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	फैसल कुरैशी आत्मज - श्री इफ्तेखार मोहम्मद कुरैशी निवासी-39, शिवनाथ कालोनी रायपुर नाका के पास राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जीवराखन निषाद पिता स्व. श्री पूनाराम निषाद, उम्र-45 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 44, मैत्री विहार कोहका भिलाई, थाना-सुपेला, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र नंदनी माईन्स में मास्टर तकनीशियन के पद पर कार्यरत हूं तथा मेरा पर्सनल नं. 230429 है. मेरे हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा अंक सूची में मेरा नाम भूलवश/त्रुटिवश जीवराखन केंवट निषाद लिखा गया है जिसके आधार पर कार्यालय (कार्मिक) के मेरे पर्सनल फाइल में 2008 से जीवराखन केंवट निषाद लिख दिया है जिसको मैं परिवर्तित कर मैं अपना नाम जीवराखन निषाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे जीवराखन निषाद पिता स्व. श्री पूनाराम निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
जीवराखन केंवट निषाद पिता - स्व. श्री पूनाराम निषाद निवासी-प्लाट नं. 44, मैत्री विहार कोहका भिलाई, थाना-सुपेला तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जीवराखन निषाद पिता - स्व. श्री पूनाराम निषाद निवासी-प्लाट नं. 44, मैत्री विहार कोहका भिलाई, थाना-सुपेला तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनहरण लाल आत्मज स्व. भागीरथी, उम्र-54 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 10, शंकरनगर दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में सीनियर आपरेटर ग्रेड-1 विभाग कोक ओवन एवं सी. सी. डी. में कार्यरत हूं. मेरा पर्सनल नं. 147422 एवं ग्रेड एस/9 है. मेरी पत्नी का नाम बी. एस. पी. सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल ओ. पी. डी. बुक में गोमतीदेवी इन्द्राज है जबकि अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में गोमती बाई दर्ज है. मैं अपनी पत्नी के नाम को परिवर्तित कर गोमती बाई रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पत्नी को गोमती बाई पति श्री मनहरण लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
गोमतीदेवी पति - श्री मनहरण लाल निवासी-वार्ड नं. 10, शंकरनगर, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ. ग.)	गोमती बाई पति - श्री मनहरण लाल निवासी-वार्ड नं. 10, शंकरनगर, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

प्र. क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2012-13

क्रमांक /205/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुरूषोत्तम परवानी पिता स्व. गोपी कुमार परवानी, निवासी जी. के. हाउस सिविल लाईन, रायपुर द्वारा "सखी गोपी परवानी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" जी. के. हाउस, राजभवन के पास सिविल लाईन रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा - 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 23-11-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"सखी गोपी परवानी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" जी. के. हाउस, राजभवन के पास, सिविल लाईन रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	1,50,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11-10-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.